राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–860 / 2025

राजेश गुर्जर

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.04.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संजय शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मण्डल, जाखमुण्ड, तह. तालेड़ा में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पटवार मण्डल भजनेरी, तह. नैनवां में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा पदस्थापित किया गया था। ऐसे में अपीलार्थी का पुनः स्थानांतरण एक वर्ष से भी कम अवधि में पुनः किया गया है, जो राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति के विरूद्ध है, जिसके अनुसार कार्मिक का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर दो वर्ष से पूर्व नहीं किया जाना चाहिए।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक

को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष